धारा 127 : कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति

जहां समुचित अधिकारी का मत यह है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 [1][या धारा 74क] या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अंतर्गत नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने वाला आदेश जारी कर सकेगा।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।